

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

21.6.17

पत्रावली पत्र / कार्यालय उद्घरण से। लोका  
जाकर शामिल पत्रावली, बिपात्रा।  
पत्रावली कार्यालय गुम्बर होकर  
गोम्बरसे काम हो।



1. देवीदास आत्मज गोपालदास बैरागी, निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कान्हा पुत्री गोपालदास बैरागी, निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सुन्दर पुत्र गोपालदास बैरागी, निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

#### बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत, निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. चावण्ड सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत, निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नाहर सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत, निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. रतन सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत, निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा एस0के0 प्लाजा, पुर रोड, भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 21.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलोली, पटवार हल्का तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1952/1775 रकबा 01-15 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 01-15 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेश नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम तिलोली, पटवार हल्का तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1952/1775 रकबा 01-15 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 01-15 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/- अक्षरे दो सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(रिणु मीना आर0ए0एस0)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)